संख्याः 3053 / उन्तीस / 04–2(49पे0) / 2004

प्रेषक,

कुँवर सिंह
अपर सचिव
उत्तरांचल शासन ।

सेवा में,

मुख्य महाप्रबन्धक
उत्तरांचल जल संस्थान
देहरादून ।

पेयजल अनुभाग देहरादूनः दिनांक 17 दिसम्बर, 2004

विषयः– चालू वित्तीय वर्ष 2004–05 में ग्रामीण जलसम्पूर्ति योजनाओं के रखरखाव हेतु अनुदान की स्वीकृति ।

महोदय,

उपरोक्त विषयक शासनादेश संख्या 922 / उन्तीस–04–2 / (63पे0) / 2004 दिनांक 27 अप्रैल, 2004 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय चालू वित्तीय वर्ष 2004–05 में राज्य सरकार द्वारा संचालित न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्मित ग्रामीण जलापूर्ति योजनाओं के रखरखाव हेतु उत्तरांचल जल संस्थान को रू0 55,57,000 / –(रू0 पचपन लाख सत्तावन हजार मात्र) की धनराशि निम्न0 जनपदवार विवरणानुसार व्यय हेतु आपके नियंत्रण पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है –:

क0सं0	जनपद	अवमुक्त की जा रही धनराशि (रू0 लाख में)
1.	नैनीताल	5.00
2.	उधमसिंह नगर	1.02
3.	अल्मोड़ा	4.79
4.	पिथौरागढ़	5.25
5.	बागेश्वर	2.52
6.	चम्पावत	4.12
7.	देहरादून	4.23
8.	पौड़ी	10.80
9.	टिहरी	06.28
10	उत्तरकाशी	3.70
11.	रुद्रप्रयाग	4.86
12.	चमोली	3.00
	योग :–	55.57

कृपशः– 2

2. ग्रामीण जल सम्पूर्ति योजनाओं के रखरखाव का कार्य सम्बन्धित जनपद में जल संस्थान की सम्बन्धित इकाईयों द्वारा किया जायेगा। व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल और फाइनैन्शियल हैण्डबुक नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो, उनमें व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय। निर्माण कार्य पर व्यय करने से पूर्व आगणनों/पुनरीक्षित आगणनों पर प्रशासनिक एंव वित्तीय अनुमोदन के साथ-साथ विस्तृत आगणनों पर सक्षम अधिकारी की टैक्निकल स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय ।

3. उक्त स्वीकृत धनराशि मुख्य महाप्रबन्धक उत्तरांचल जल संस्थान के हस्ताक्षर एंव जिलाधिकारी,देहरादून के प्रतिहस्ताक्षर युक्त बिल कोषागार देहरादून में प्रस्तुत करके यथा आवश्यकतानुसार ही आहरित की जायेगी । धनराशि आहरण के उपरान्त एक सप्ताह के भीतर जनपदीय अधिकारियों को उपलब्ध कराते हुऐ इसकी सूचना तत्काल शासन को उपलब्ध करायी जाय । धनराशि का पूर्ण उपयोग दिनांक 31.03.2005 तक सुनिश्चित किया जायेगा ।

4. भविष्य में रखरखाव मद में धनराशि तभी स्वीकृत की जायेगी जबकि इस मद में पूर्व स्वीकृत समस्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र मदवार/योजनावार/जनपदवार विवरण शासन को उपलब्ध कराया जायेगा ।

5. व्यय करते समय बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका ,स्टोर पर्चेज रूल्स, टेण्डर/कुटेशन विषयक नियम तथा अन्य तद्विषयक नियमों का अनुपालन किया जायेगा।

6. अनुरक्षण में सेन्टेज शासन द्वारा अनुमोदित 12.5 प्रतिशत की दर से ही लगाया जायेगा ।

7- व्यय उन्ही मदों में किया जायेगा जिनमें यह स्वीकृत किया जा रहा है।

8- योजनाओं के अनुरक्षण हेतु पूर्व में स्वीकृत धनराशि का पूर्ण उपयोग करके ही इस धनराशि का आहरण किया जायेगा।

9. इस सम्बंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2004-05 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-13 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक"2215-जलपूर्ति तथा सफाई-01-जलपूर्ति-आयोजनागत -102- ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम-02-अनुसूचित जातियों के लिए स्पेशल कम्पोनेंट प्लान-91-ग्रामीण पेयजल योजना तथा जलोत्सारण योजनाओं के लिए अनुदान-20-सहायक अनुदान/अंशदान/राजसहायता के नामे के नामे डाला जायेगा ।

8. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या 2013(1)/वि0अनु0/2004 दिनांक 10 दिसम्बर ,2004 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है ।

भवदीय

(कुँवर सिंह)
अपर सचिव

कनशः-3

संख्या 3053 (1) / नौ–2–04(49पे0) / 2004, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1.महालेखकार,उत्तरांचल ,देहरादून ।
2.मण्डलायुक्त,गढवाल / कुमॉयू
3.समस्त जिलाधिकारी,उत्तरांचल ।
4.वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
5.प्रबन्ध निदेशक,उत्तरांचल पेयजल निगम,देहरादून ।
6.अध्यक्ष,उत्तरांचल जल संस्थान,देहरादून ।
7.वित्त अनुभाग–3 / बजट सैल / नियोजन प्रकोष्ठ,उत्तरांचल शासन ।
8.निजी सचिव,मा0 मुख्यमंत्री / मा0 पेयजल मंत्री जी,उत्तरांचल ।
9.आयुक्त ,ग्राम्य विकास,उत्तरांचल शासन,देहरादून ।
10.निदेशक, सूचना एंव लोक सम्पर्क निदेशलय,देहरादून ।
11.निदेशक,एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर ,देहरादून ।
12.महाप्रबन्धक,उत्तरांचल जल संस्थान(कुमॉयू मण्डल) / (गढवाल मण्डल) नैनीताल / पौडी
13.समस्त अधीक्षण अभियन्ता / अधिशासी अभियन्ता,उत्तरांचल जल संस्थान ।

आज्ञा से

(कुवर सिंह)
अपर सचिव